

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय  
मिड डे मील योजना  
(Mid Day Meal Scheme)



भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार नेफेड से प्राप्त दालों का योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत वितरण एवं उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश

वर्तमान में मिड डे मील योजना से राज्य के कुल 66506 राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर्स में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 62.22 लाख छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थियों को निम्न निर्धारित मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है :-

क्र.सं.	वार	भोजन का विवरण
1	सोमवार	रोटी - सब्जी
2	मंगलवार	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	बुधवार	रोटी - दाल
4	गुरुवार	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	शुक्रवार	रोटी - दाल
6	शनिवार	रोटी - सब्जी

- सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है।
- सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य।
- कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को 150 एमएल कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 200 एमएल दूध की प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को उपलब्धता।

भारत एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में (मेन्यू अनुसार) सामग्री (गेहूँ/चावल, दाल, तेल, मसाले, आदि) की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित है:-

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा प्रतिदिन / प्रतिछात्र (मेन्सू अनुसार)	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
01	खाद्यान्न (गेहूँ/चावल)	100 ग्राम	150 ग्राम
02	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
03	सब्जी (पत्तीदार सब्जियों सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
04	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
05	नमक एवं मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिये 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों के लिये 150 ग्राम प्रतिछात्र प्रतिदिन खाद्यान्न (गेहूँ/चावल), भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। दाल, सब्जी, तेल, मसालों एवं ईंधन के क्रय के लिये कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका वहन 60:40 के अनुपात में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिये कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट 4.13 एवं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिये 6.18 की दर से प्रतिछात्र प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जा रही है।

## 2. दालों का क्रय:-

वर्तमान में योजनान्तर्गत दालों का क्रय विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत अर्थात् विद्यालय स्तर पर ही कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से किया जाता है। भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार दालों का क्रय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत नेफेड से किया जावेगा, जिसका भुगतान कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से किया जावेगा। नेफेड से प्राप्त दालों का वितरण एवं उपयोग योजनान्तर्गत दिनांक 01.11.2018 से प्रारम्भ किया जायेगा।

## 3. दालों का आवंटन एवं भण्डारण:-

मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा जिलों की मांग के अनुसार, दालो का आवंटन आदेश, सम्बन्धित विभागों एवं जिला कलक्टर्स को जारी किया जावेगा। आयुक्तालय द्वारा जारी आवंटन आदेश के अनुसार, नेफेड द्वारा, उच्च गुणवत्तापूर्ण दालों को भारतीय खाद्य निगम के जिला मुख्यालय पर स्थित गोदामों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दालों के भण्डारण की व्यवस्था की जावेगी। नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई दालों के रख रखाव हेतु भारतीय खाद्य निगम के जिला स्थित गोदामों की सूची, दालों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने वाले भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रारम्भिक शिक्षा के जिला स्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलेवार सूची शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जावेगी। उक्त सूचियों के अनुसार संबंधित अधिकारी नेफेड द्वारा आपूर्ति की गई दालों को जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उतरवाने से पूर्व बिन्दु संख्या 5 (ii) के अनुसार गुणवत्ता जाँच करने एवं आवंटित मात्रा के अनुसार दालों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

#### 4. उठाव, परिवहन एवं विद्यालयों तक वितरण:-

खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की भाँति ही दालों के उठाव, परिवहन एवं विद्यालयों तक वितरण कार्य हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, नोडल संस्था एवं जिला रसद अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।

सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी, आयुक्तालय द्वारा जारी आवंटन आदेश के अनुसार जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामंजस्य से, खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की भाँति ही, दालों के उठाव, परिवहन व विद्यालयों एवं अन्य कुकिंग ऐजेन्सीज तक समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

#### 5. दालों की गुणवत्ता जाँच:-

मिड डे मील योजनान्तर्गत नेफेड से आपूर्ति की जाने वाली दालों की गुणवत्ता की जाँच निम्न तीन स्तर पर की जावेगी:-

- i. **नेफेड द्वारा दाल मिल्स स्तर पर :-** नेफेड द्वारा दाल मिल्स पर दालों की गुणवत्ता की जाँच NABL Accredited प्रयोगशाला अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाई जावेगी। सम्बन्धित प्रयोगशाला द्वारा FSSAI के माप दण्डों के अनुसार दालों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही दालों को जिला स्थित एफसीआई गोदामों तक पहुँचाया जायेगा। दालों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुँचाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ NABL Accredited प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति एवं आपूर्ति की जाने वाली दालों के सेम्पल्स भिजवाये जायेंगे।
- ii. **भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर दालों के उतरने से पूर्व :-** नेफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दालों के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुँचने के पश्चात जिला स्थित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी दालों का मिलान, दालों के सेम्पल्स से करेंगे। दालों का, सेम्पल की दालों से मिलान होने के पश्चात ही दालों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखवाया जायेगा। यदि दालों का सेम्पल्स की दालों से मिलान नहीं होता है तो दालों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नहीं रखवाया जायेगा एवं इसकी सूचना नेफेड व मिड डे मील आयुक्तालय को दी जावेगी।
- iii. **खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की जाँच के लिए गठित संयुक्त निरीक्षण समिति स्तर पर :-** भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) उठाने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण के लिये एक समिति का गठन किया हुआ है जिसमें भारतीय खाद्य निगम का स्थानीय प्रतिनिधि, जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, जिला रसद अधिकारी का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रतिनिधि, कृषि विभाग का अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। उक्त समिति द्वारा मिड डे मील योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य

निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे खाद्यान्न "फेयर एवरेज क्वालिटी" (FAQ ) का है, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उक्त संयुक्त निरीक्षण समिति में नेफेड के प्रतिनिधि को शामिल किया जाकर दालों की गुणवत्ता की जाँच NABL Accredited प्रयोगशालाओं अथवा जिला स्तर पर स्थित जन स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में करवायी जायेगी एवं दालों की गुणवत्ता भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार होने पर ही दालों का उठाव किया जावेगा।

#### 6. भुगतान व्यवस्था :-

नेफेड से क्रय की गई दालों के भुगतान हेतु बिल प्राप्त होने के पश्चात्, वर्तमान में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) के भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही नेफेड को कुकिंग कन्वर्जन मद में से भुगतान किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

#### 7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- i. वर्तमान में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की भांति ही, दालों का उठाव, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित मात्रा के अनुसार तुलवाकर /प्राप्त कर पूर्ण मात्रा में व सुरक्षित रूप से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- ii. प्रत्येक विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) को तौलकर लेने एवं प्राप्ति की रसीद की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही दालों को तौलकर लेने एवं प्राप्ति की रसीद की व्यवस्था होगी।
- iii. भारतीय खाद्य निगम/जिला रसद अधिकारी/नेफेड यह सुनिश्चित करेंगे कि दालें खाद्यान्न (गेहूँ /चावल) की भांति ही पूरी मात्रा में सुरक्षित रखी जावे। दाल में किसी भी प्रकार की मिलावट एवं कीड़े, मकौड़े, इल्लियां, घुण व धूल मिट्टी आदि नहीं हो।
- iv. दालों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जावे।
- v. विद्यालय में दालों का स्टॉक मेन्टेन किया जावे। दालों का स्टॉक खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) के लिये निर्धारित स्टॉक पंजिका में संधारित किया जायेगा।
- vi. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दालों के उपयोग एवं राशि व्यय की सूचना मासिक प्रगति रिपोर्ट में भिजवायेंगे।
- vii. विद्यालयों में दालों का भण्डारण साफ सुथरे एवं हवा बन्द डिब्बों में किया जावे, दालों के पैकिट को आवश्यकतानुसार ही खोला जावे ताकि नमी से खराब नहीं हो।

- viii. भोजन पकाने के लिए दाल की अच्छी तरह सफाई/धुलाई करने के पश्चात ही उपयोग में लिया जाना चाहिए।
- ix. योजनान्तर्गत नेफेड से दालों की आपूर्ति 5 एवं 10 किलोग्राम के निर्धारित पैकेट में की जावेगी। पैकेट पर मिड डे मील का लोगो एवं नेफेड अंकित होने पर ही प्राप्त किया जावे।
- x. भारतीय खाद्य निगम के गौदाम से दालों के उठाव से लेकर विद्यालयों तक सुपुर्द करने के दौरान दालें खराब/नष्ट होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खाद्य विभाग (परिवहनकर्ता) की होगी। इस प्रकार खराब/नष्ट हुई दालों की कीमत नेफेड द्वारा निर्धारित दालों की कीमत के अनुसार वसूल का जायेगी।
- xi. वर्तमान में खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) के उठाव एवं विद्यालय तक वितरण के लिये नोडल विभाग/ नोडल अधिकारी एवं परिवहनकर्ताओं के लिये जो नियम /जिम्मेदारी निर्धारित की हुई है वही नियम/जिम्मेदारी दालों के उठाव व विद्यालयों तक वितरण के लिये लागु होंगी।
- xii. राज्य/जिला/ब्लाक एवं ग्राम स्तर के किसी भी अधिकारी द्वारा दालों की जाँच करने पर यदि प्रथम दृष्टया दालों की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पाई जाती है एवं दालें तौल में कम पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं नेफेड से दाल की आपूर्तिकर्ता की जानकारी प्राप्त कर फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की अनुशंसा की जा सकेगी।

  
(वेद सिंह)  
आयुक्त  
मिड डे मील